न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम.एल. चौहान, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 41/2019 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती सुनीता पत्नी स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार खण्डेलवाल ब्राहमण, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मण कुमार पिता श्री बजरंग प्रसाद खण्डेलवाल ब्राहमण, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. प्रका ा पिता श्री बजरंग प्रसाद खण्डेलवाल ब्राहमण, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सुद र्न पिता श्री कन्हैयालाल रामपुरिया जैन, निवासी सेंती, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. विजय कुमार पिता श्री लक्ष्मीलाल टांक, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. बालूराम पिता श्री ताराचंद खटीक, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. पन्नालाल पिता श्री ताराचंद खटीक, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 58/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती सुनीता पत्नी स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार खण्डेलवाल ब्राहमण, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मण कुमार पिता श्री बजरंग प्रसाद खण्डेलवाल ब्राहमण, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सुद र्न पिता श्री कन्हैयालाल रामपुरिया जैन, निवासी सेंती, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. विजय कुमार पिता श्री लक्ष्मीलाल टांक, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. बालूराम पिता श्री ताराचंद खटीक, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

4. पन्नालाल पिता श्री ताराचंद खटीक, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. प्रका ा पिता श्री बजरंग प्रसाद खण्डेलवाल ब्राहमण, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक) मावली प्र.सं. 167/10 प्रा॰डिक्री दि. 29.06.08 अंतिम डिक्री दि. 05.08.19

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2
3. श्री कमले ा चौहान राजकीय अभि. रे. सं. 6

———:::———

निर्णय दिनांक 25–10–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 1092 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम सनवाड़ में स्थित है, जो राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम 2/3 हिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 16780/65340 हिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 के नाम 5000/65340 हिस्सा बराबर अंकित है, जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा है, किन्तु भूमि संयुक्त खाते में होने से आपस में विवाद होता है। अतः उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों में स्वतंत्र रूप से अंकन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29–06–2018 से वादी का वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्प चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 05–06–2019 को अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29–06–2018 से रूष्ट होकर अपील [illegible] अपील संख्या 58/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 11–08–2020 को तथा अंतिम डिक्री दिनांक 05–08–2019 के विरूद्ध अपील संख्या 41/2019 दिनांक 23–09–2019 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी हैं।

उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान होकर दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 167/2020 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अतः दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री राजकीय अभिभाषक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में लिखित बहस एवं प्रार्थना पत्र बाबत् एफ.आई.आर. दर्ज करने का प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 58/2020 बेरून मयाद होने से अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में पैरवी प्रका ा द्वारा की गयी, लेकिन अपीलान्ट व प्रका ा के मध्य आपसी विवाद हो जाने से प्रका ा द्वारा प्रकरण में हुई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गयी। दिनांक 31–07–2020 को प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पूर्व अपील में स्वयं प्रका ा अपीलान्ट के साथ है, इस कारण उनके मध्य विवाद होने का कथन एवं दिनांक 31–07–2020 को जानकारी होने का कथन सर्वथा गलत है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील करीब 2 विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। स्वयं अपीलान्ट द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 41/2019 न्यायालय हाजा में दिनांक 23–09–2019 को प्रस्तुत की गयी है, जिससे स्पश्ट ही कि अपीलान्ट को कम से कम उक्त दिनांक को तो प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी अव य थी, फिर भी उनके द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब के लिए जो कारण बताये वह मिथ्या एवं मनगढ़न्त होने के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 58/2020 मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करने के करीब 10½ माह बाद प्रारम्भिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसका उनके द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है, तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 58/2020 इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 41/2019 का प्र न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया सभी प्रतिवादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर मौके पर मौखिक बंटवारे अनुसार काबिज होना बताया है, जिसकी ताईद कमि नर रिपोर्ट से भी होती है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आपसी राजीनामे अनुसार डिक्री पारित करने का अंकन किया है, जबकि इस प्रकार का कोई राजीनामा रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजी में से जो भूमि रोड़ पर गयी थी उसका मुआवजा केवल वादीगण द्वारा ही प्राप्त किया गया था, जो मौखिक बंटवारे अनुसार कब्जे के आधार पर प्राप्त किया गया था, अन्य प्रतिवादीगण को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। इस प्रकार जो भूमि रोड़ पर गयी उसका मुआवजा वादी द्वारा प्राप्त करने से उसका उतना हिस्सा कम है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की अनदेखी करते हुए अंतिम डिक्री जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त की जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि राजीनामे पर अपीलान्ट के अधिवक्ता के जूनियर श्री घन याम पालीवाल के हस्ताक्षर हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में विवादित आराजी नंबर 1092 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 16780/65340 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का संयुक्त रूप से 5000/65340 हिस्सा अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार निर्णय पारित किया है। जहां तक राजीनामे का प्र न है, राजीनामे पर प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री घन याम पालीवाल के हस्ताक्षर हैं। हालांकि अपीलान्ट ने घन याम पालीवाल को अपना अधिवक्ता नहीं होने का कथन करने हुए उक्त राजीनामे को कूटरचित बताते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। यदि उनके द्वारा घन याम पालीवाल को अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया है, फिर भी घन याम पालीवाल द्वारा उनके अधिवक्ता की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये हैं, तो इसके लिए अपीलान्ट उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु न्यायालय हाजा से अपीलान्ट किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्तानुसार अपील संख्या 41/2019 सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–08–2019 यथावत रखी जाती है तथा अपील संख्या 58/2020 बेरून मयाद होने एवं अंतिम अपील के 10½ माह बाद प्रस्तुत किये जाने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29–06–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 25–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती सुनीता पत्नी स्व.महेन्द्र कुमार बनाम **सुद ान पिता कन्हैयालाल रामपुरिया**
खण्डेलवाल ब्राहमण, निवासी सनवाड़ तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य — **जैन, नि0 सेंती, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ व अन्य**

अपील नं.....**41 / 19**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी (फास्टट्रेक)** ..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....05**.....माह.....**08**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री खेमराज डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पन्नालाल मारू**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–08–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती सुनीता पत्नी स्व.महेन्द्र कुमार बनाम **सुद ान पिता कन्हैयालाल रामपुरिया**
खण्डेलवाल ब्राहमण, निवासी सनवाड़ तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य — **जैन, नि0 सेंती, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ व अन्य**

अपील नं.....**58/20**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी (फास्टट्रेक)** ..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....29**.....माह.....**06**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री खेमराज डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पन्नालाल मारू**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने तथा अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करने के 10½ माह बाद में प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29–06–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested